ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L00-13, 14 & 15/2014

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
07.06.14	आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री अंसारी उपस्थित । अनावेदकगण की ओर से श्री वलेचा, अधिवक्ता उपस्थित । श्री वलेचा ने अधिवक्ता पत्र पेश किया, संलग्न हो । फोरम के शिकायत प्रकरण क्रमांक (1) T-21 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2014, (2) शिकायत प्रकरण क्रमांक T-22 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2014 (3) शिकायत प्रकरण क्रमांक T-20 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2014 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है । (2) फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि फोरम ने प्रश्नगत आदेश के द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का अन्तिम रूप से निराकरण नहीं किया है, अपितु यह आदेश दिया है कि उपभोक्ता से अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा जिस राशि की मांग की जा रही है उस राशि के संबंध में जांच उच्च स्तरीय ऑडिट रिव्यू कमेटी द्वारा किया जाए तथा ऐसी कमेटी के निर्णय से असहमत होने पर उपभोक्ता फोरम के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें । (3) फोरम के उक्त आदेश के अनुसरण में अनावेदक द्वारा उच्च स्तरीय ऑडिट रिव्यू कमेटी का गठन नहीं किया गया है और ऐसी कमेटी के समक्ष उपभोक्ता के विवाद को प्रस्तुत नहीं किया गया है । फोरम द्वारा उपभोक्ता से वसूल की जाने वाली राशि की वसूली को उच्च स्तरीय ऑडिट रिव्यू कमेटी के निर्णय तक स्थगित किया है । ऐसी स्थिति में फोरम के आदेश का पालन किए जाने का दायित्व अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को है और जब तक अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी फोरम के आदेश का पालन नहीं करती है, तब तक वह उपभोक्ता से विवादित राशि वसूल पाने की अधिकारी नहीं है । ऐसी स्थिति में जबकि अनावेदक उपभोक्ता से विवादित राशि को वसूल करने से प्रतिबंधित कर दिया है तब उपभोक्ता द्वारा फोरम के आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । उपभोक्ता के समक्ष यह विकल्प है कि जब अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उच्च स्तरीय ऑडिट रिव्यू कमेटी निर्णय पारित करे तब ऐसी कमेटी के निर्णय से असहमत होने पर वह फोरम के समक्ष पुनः शिकायत प्रस्तुत कर सकता है । (4) अतः उपभोक्ता की ओर से फोरम के आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन अन्तिम आदेश के पूर्व प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है, अतः ऐसे अभ्यावेदनों को प्रारंभिक स्तर पर निरस्त किया जाता है । आदेश की प्रति के साथ फोरम के अभिलेख वापस हो । **विद्युत लोकपाल**	